हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005

(हरियाणा अधिनियम संख्या 2006 का 9)

संख्या : विधिक 10/2006 – हरियाणा राज्य के विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 17 जनवरी, 2006 को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है और इसके द्वारा सामान्य सूचना के लिए इसे प्रकाशित किया जा रहा है :

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	क्या कानून द्वारा निरस्त किया गया है या अन्यथा प्रभावित है
1	2	3	4
2005	9	हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005	

अधिनियम

निर्यात संवर्धन के लिए और इस प्रकार आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से विशाल लाभांश प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं बाधामुक्त परिवेश में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए तथा राज्य में क्षेत्रीय विकास के मजबूत प्रेरक के रूप में काम करने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ विशाल आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप प्रोत्साहित करने और स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए।

इसे भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमिति किया जाए :

अध्याय-1 : प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ :

1. (1) इस अधिनियम को हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह संपूर्ण हरियाणा राज्य पर लागू होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।

परिभाषाएं :

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सुविधाओं'' का अभिप्राय सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सार्वजनिक कार्य, पर्यटन स्थल, खुले स्थान, पार्क, लैंड स्केपिंग तथा खेल के मैदान और ऐसी अन्य सुविधाओं से है तथा शामिल हैं जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;

(ख) "परिशिष्ट'' का अभिप्राय इस अधिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट से है;

(ग) "भवन'' का अभिप्राय निम्नलिखित से है तथा शामिल हैं, -

I. मकान, आउटहोम, कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान से संबंधित कार्यालय, भवन तथा अन्य सामाजिक अवसंरचना, अस्तबल, गोदाम, शेड, हटवाल तथा कोई अन्य संरचना जो चिनाई, ईंट, मड, वुड, मेटल या किसी अन्य सामग्री की हो;

II. पहियों पर खड़ी संरचना या नींव के बगैर भूमि पर टिकी संरचना;

III. शिप, वेजल, बोट, टैंट, वैन तथा मानव बस्ती के लिए प्रयुक्त या कोई वस्तु या माल रखने या भंडारित करने के लिए प्रयुक्त कोई अन्य संरचना; और

IV. उद्यान, मैदान, वाहन एवं अस्तबल, यदि कोई हो जो किसी भवन से संबद्ध हो जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए हो, वास्तविक प्रयोग में हो या न हो;

(घ) "भवन प्रचालन'' में पुनर्भवन के प्रचालन, भवनों में संरचनात्मक परिवर्तन या वृद्धि तथा भवनों के निर्माण के सिलसिले में सामान्यतया संचालित किए गए अन्य प्रचालन शामिल हैं;

(ङ) "नियंत्रित क्षेत्र'' का अभिप्राय पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र में गैर विनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 4 के तहत घोषित क्षेत्र से है;

(च) "मौजूदा राज्य कानून'' का अभिप्राय किसी राज्य कानून से है जो हरियाणा राज्य में लागू है;

(छ) "सरकार'' का अभिप्राय हरियाणा राज्य की सरकार से है;

(ज) "अवसंरचना'' का अभिप्राय औद्योगिक, वाणिज्यिक या सामाजिक या आवासीय अवसंरचना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक किसी अन्य सुविधा है;

(झ) "भूमि'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित सुपर स्ट्रक्चर सहित किसी भूमि से है;

(ञ) "अधिभोक्ता'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी साइट या भवन का अधिभोक्ता है तथा इसमें उसके प्राधिकारी, वारिस तथा प्रशासक शामिल हैं;

(ट) "ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर स्थित किसी यूनिट से है जो विकासक, सह विकासक, अधिभोक्ता या निवासी को माल या सेवाएं या दोनों प्रदान करती है;

(ठ) "प्रचालक'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना या कोई सुविधा प्रदान करने के लिए विकासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ड) "व्यक्ति'' में कोई व्यक्ति, चाहे भारत का निवासी हो या भारत के बाहर निवास करता हो, हिंदू अविभाजित परिवार, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, चाहे भारत में निगमित हो या भारत से बाहर निगमित हो, फर्म, प्रोपराइटरी प्रतिष्ठान, या व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, स्थानीय प्राधिकरण तथा कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा जिसका स्वामी या

नियंत्रक ऐसा व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कोऑपरेटिव, संघ, निकाय, प्राधिकरण या कंपनी है, शामिल हैं;

(ढ) "निर्धारित'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ण) "परियोजना'' का अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना से है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र की संपोषणीयता के लिए आवश्यक कोई अन्य परियोजना शामिल है जिसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है और सिफारिश की गई है;

(त) "परियोजना अनुमोदन समिति'' का अभिप्राय धारा 4 के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति से है;

(थ) "परियोजना मूल्यांकन समिति'' का अभिप्राय धारा 3 के तहत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति से है;

(द) "विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का अभिप्राय धारा 4 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित तथा धारा 5 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से है;

(ध) "यूनिट'' का अभिप्राय किसी उपक्रम या उसके भाग से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय का प्रचालन करने के लिए स्थान का अधिभोक्ता है जो विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित है;

(न) "शहरी क्षेत्र'' का अभिप्राय वही होगा जो हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 (1975 का 8) में उसका अर्थ निर्धारित किया गया है;

(ऩ) "मूल्य वृद्धि'' में ऐसी कोई गतिविधि शामिल है जो कुछ प्रक्रिया, शोधन और/या श्रम के फलस्वरूप किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन लाती है तथा वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्य वृद्धि के साथ एक नई एवं भिन्न वस्तु में परिवर्तित होती है तथा इसमें पैकेजिंग भी शामिल होगी।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए और परिभाषित न किए गए परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम 28) में परिभाषित सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

अध्याय-2 : समितियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की संरचना

परियोजना मूल्यांकन समिति की संरचना एवं कार्य

3. (1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन करेगी जिसे परियोजना मूल्यांकन समिति कहा जाएगा।

(2) परियोजना मूल्यांकन समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

(क)	सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, नगर एवं देहात आयोजना विभाग	सदस्य
(ग)	प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
(घ)	प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	सदस्य
(ड.)	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
(च)	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जिसकी रैंक संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(छ)	संबंधित प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	सदस्य
(ज)	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	सदस्य सचिव

(3) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात :

(क) **परियोजना का मूल्यांकन करना और यदि परियोजना इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करती है, तो यथास्थिति स्वीकृति, अनुमोदन, गैर अनुमोदन या परियोजना में संशोधन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को उसकी सिफारिश की जाएगी;**

(ख) **सिफारिशें करने से पूर्व, पहले से अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में परियोजना की वांछनीयता तथा पानी एवं बिजली की उपलब्धता का मूल्यांकन करना;**

(ग) **यह सुनिश्चित करना कि इस परियोजना की स्थापना से पहले से अनुमोदित परियोजनाओं की संभावनाएं एवं संपोषणीयता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी।**

परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना एवं कार्य

4. (1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन करेगी जिसे परियोजना अनुमोदन समिति कहा जाएगा।

(2) परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

(क)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ख)	सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(ग)	सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	सदस्य
(घ)	सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं देहात आयोजना विभाग	सदस्य
(ड.)	सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(च)	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	सदस्य सचिव

(3) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में किसी अन्य अधिकारी को जिसे वह उपयुक्त समझे, सहयोजित कर सकते हैं।

(4) परियोजना अनुमोदन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात :

(क) यह परियोजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी, संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी :

परंतु यह कि विस्तृत भूमि प्रयोग, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना विकास योजना पर अभिभावी होगी :

परंतु यह भी कि विकासक से भूमि प्रयोग में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं होगी, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र नगर एवं देहात आयोजन विभाग, हरियाणा द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने की भी अपेक्षा नहीं होगी;

(ख) समिति का सदस्य सचिव बोर्ड को समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा;

(ग) यह आवेदक द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की ऐसे अंतरालों पर समीक्षा करेगी जिसे यह उपयुक्त समझे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना

5. सरकार धार 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्धारित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं तथा क्षेत्र की हद को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

अध्याय-3 : परियोजना अनुमोदन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

विकासक के अनुमोदन के लिए आवेदन की प्रोसेसिंग एवं निस्तारण

6. (1) विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए क्षेत्र की पहचान करेगा और निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ को 20 प्रतियों में परिशिष्ट (क) में आवेदन करेगा। परियोजना में अन्य बातों के साथ संभाव्यतापूर्व रिपोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र के चरणबद्ध विकास के घटक तथा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य शामिल होंगे।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा टिप्पणियों के लिए प्रस्ताव संबंधित विभाग को अग्रेषित करेगा।

(3) परियोजना मूल्यांकन समिति संबंधित विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगी और प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता के औचित्य का उल्लेख करते हुए परियोजना की लाभप्रदता तथा अन्य आर्थिक संकेतकों की जांच करेगी।

(4) परियोजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशें परियोजना अनुमोदन समिति को भेजी जाएंगी।

(5) परियोजना अनुमोदन समिति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी यदि परियोजना के लिए भूमि विकासक के कब्जे में नहीं होगी।

(6) परियोजना अनुमोदन समिति विकासक के कब्जे में भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त हो जाने के बाद यथा निर्धारित शर्तों एवं विनियमों के अधीन अंतिम सहमति केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि

7. (1) सरकार स्वयं द्वारा अधिग्रहीत, नियंत्रित या स्वामित्व वाली भूमि विकासक को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार और राज्य सरकार की नीति के अनुसार अंतरित कर सकती है।

(2) विकासक क्रय, पट्टा या अन्यथा द्वारा निजी पक्षों से स्वतंत्र रूप से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है।

अध्याय-4 : विकासक की शक्तियां एवं कार्य

विकासक के कर्तव्य, कार्य एवं शक्तियां

8. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एसईजेड में अवसंरचना एवं सुविधाओं की स्थापना, निर्माण, संस्थापन, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रावधान करना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना विकासक का कर्तव्य होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकासक निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात :

(क) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप या उपधारा (3) के तहत विकासक द्वारा पालन किए गए नियमों के अनुरूप या धारा 17 की उपधारा (4) के तहत सरकार द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र की विकास योजना तैयार करना और अनुमोदन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी योजना को लागू करना;

(ख) अनुमोदित योजना के अनुसार मुक्त व्यापार एवं गोदाम क्षेत्र, आवासीय एवं अन्य प्रयोजनों सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए स्थल निर्धारित करना और विकसित करना;

(ग) ऐसे भूखंडों, भवन या संस्थापन के संबंध में अपने स्वामित्व के अधीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या अन्य प्रयोजनों के लिए बिक्री या पट्टा या अन्यथा के रूप में भूखंड, भवन या संस्थापन आवंटित और अंतरित करना;

(घ) विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित भवन योजना के अनुसरण में उद्योगों की स्थापना तथा भवनों के निर्माण को विनियमित करना;

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उसके किसी भाग की सीमा निर्धारित करना और धारा 17 की उपधारा (3) और (4) के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की संरचनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण करना;

(च) बिक्री, पट्टा या अन्यथा के माध्यम से भवन, भूमि या संस्थापन के अंतरण के लिए समय-समय पर दरें निर्धारित करना;

(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई सुविधा एवं अवसंरचना प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के लिए विकासक किसी भूमि, भवन, संस्थापन या किसी अन्य अवसंरचना के संबंध में ऐसे प्रभार लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे; और

(ज) ऐसे अन्य कार्य करना जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

विकासक द्वारा अवसंरचना या सुविधा के लिए प्रावधान

9. (1) विकासक अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता, प्रचालक या कोई अन्य व्यक्ति तैनात कर सकता है।

(2) जहां कोई अवसंरचना या सुविधा प्रदान की जाती है, विकासक को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के प्रयोग के लिए प्रभार लगाने की शक्ति होगी।

(3) विकासक सेवाओं के प्रयोग के लिए प्रभार का संग्रहण करने की शक्ति अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

10. (1)

(क) **विकासक या सह विकासक को विशेष आर्थिक क्षेत्र में खपत के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में या बाहर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति होगी;**

(ख) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को व्यक्तिगत रूप में या समूह में स्वयं के उपभोग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में या बाहर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति होगी;**

(ग) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को व्यक्तिगत रूप में या समूहों में उपभोग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहुंचायी गई बिजली तथा जेनरेटर से सीधे ओपन अक्सेस के माध्यम से विद्युत का क्रय करके विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति होगी तथा यह ऐसे भुगतान के अधीन होगी जो ओपन अक्सेस तथा विद्युत पहुंचाने के लिए अपेक्षित हो सकता है।**

(2) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों के समूहों को उपभोक्ता का एक अलग वर्ग माना जाएगा तथा उनको मौजूदा लाइसेंसी से निर्धारित प्रशुल्क पर विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की आपूर्ति होगी।**

(3) **विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासक या सह विकासक या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों का कोई संघ, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 36) के तहत छूट न प्राप्त हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर या उसके भाग (भागों) में विद्युत के वितरण के लिए वितरण लाइसेंस या फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकता है।**

(4) **भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के तहत संस्थापन एवं उपकरण सहित विद्युत प्रणाली की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के विनियमन के लिए विकास आयुक्त या उनका नामिती विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा।**

(5) **विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के व्यवसाय पर तथा विद्युत के उपभोग पर कोई विद्युत शुल्क या उपकर नहीं लगाया जाएगा।**

अध्याय-5 : राज्य करों, शुल्कों, प्रशुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

राज्य करों, शुल्कों, प्रशुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

11. (1) निम्नलिखित पर किसी कर, शुल्क, ड्यूटी, उपकर या किसी मौजूदा राज्य कानून के तहत किसी अन्य लेवी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर निर्यातित या विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयातित कोई माल;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर माल का अंतर यूनिट लेनदेन;

(ग) मूल्यवृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को भेजा गया तथा इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में वापस आया हुआ माल; और

(घ) सेवाएं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी उत्पाद को मूल्यवृद्धि प्रदान करती है।

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर इस संबंध में अचल संपत्ति या दस्तावेजों के सभी अंतरण एवं लेनदेन पर स्टांप शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

अध्याय-6 : विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

12. (1) विकास आयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में शामिल एजेंसियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा, उन पर नजर रखेगा तथा समन्वय करेगा और ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा कार्यों का निर्वहन कर सकता है जो समय-समय पर उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

(2) किसी मौजूदा राज्य कानून में किसी बात के निहित होते हुए भी विकास आयुक्त उद्यमी को अनुमोदन / संस्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली प्रदान की जा सके, अर्थात :

(क) श्रम कानूनों के संबंध में श्रम आयुक्त तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां;

(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति प्रदान करने के संबंध में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां; और

(ग) गैर विनियमित विकास का पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध विकास अधिनियम, 1963 (1963 का 41) और हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियमन, 1975 (1975 का 8) के प्रावधानों के अधीन प्रयुक्त की जाने वाली निदेशक, नगर एवं देहात आयोजना विभाग, हरियाणा की शक्तियां।

अध्याय-7 : विविध

यह अधिनियम अन्य कानूनों पर अधिभावी होगा

13. भूमि एवं भवन, सेवाओं, सुविधाओं, यूटिलिटी, आपूर्ति तथा किसी अन्य गतिविधि के प्रयोग को अभिशासित करने वाले मौजूदा राज्य कानून में कोई बात निहित होने के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

सरकार का नियंत्रण

14. विकास आयुक्त ऐसे निवेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम की प्रभावी प्रयोज्यता के लिए सरकार द्वारा समय –समय पर उसे जारी किए जा सकते हैं :

परंतु यह कि विकास आयुक्त अनुमोदित परियोजना की प्रगति के बारे में ऐसे अंतराल पर सूचना प्रदान करना जारी रखेगा जो सरकार द्वारा निदेशित किया जा सकता है।

सदाशयता में उठाए गए कदम का संरक्षण

15. किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :

16. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के

प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं :

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने से 2 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) **इस धारा के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा जाएगा।**

नियम बनाने की शक्ति :

17. (1) **सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।**

(2) **इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम उनके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखे जाएंगे, यदि सत्र चल रहा होगा, यदि सदन नियम में कोई संशोधन करने से सहमत होगा या सदन इस बात से सहमत होगा कि नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके बाद नियम यथास्थिति केवल ऐसे संशोधित रूप में या प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि, ऐसा कोई निरसन या संशोधन उस नियम के तहत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।**

(3) **जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्रों में अनुमोदित किया जाता है, सरकार पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र का गैर विनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के तहत बनाए गए भवन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए विकासक को निदेश दे सकती है।**

(4) **यदि साइट नियंत्रित के क्षेत्र के बाहर पड़ती है, तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार विकासकों में समतुल्यता बनाए रखने के लिए उपधारा (3) में उल्लिखित भवन नियमों को अपना सकती है।**

विनियम बनाने की शक्तियां :

18. **विकास आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली से असंगत नहीं होंगे।**

अन्य कानूनों के प्रचालन से बचाव

19. इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी :

(1) किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त, प्रोद्भूत या उत्पन्न कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या देयता;

(2) किसी अन्य कानून के तहत उत्पन्न कोई दंड, जब्ती या दंड;

(3) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या देयता के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या निदान; और

(4) ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या निदान इस तरह शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, और ऐसा कोई दंड, व्यक्ति या दंड लगाया जा सकता है, मानो कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है।

परिशिष्ट (क)

(धारा 6(1) देखें)

सेवा में,

निदेशक,

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा,

चंडीगढ़।

विषय: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवेदन

1	**एसईजेड* विकासक का नाम (बड़े अक्षरों में)**	**:**
2	**एसईजेड विकासक का पूरा पता**	**:**
3	**एसईजेड विकासक की प्रकृति (सरकारी उपक्रम / सार्वजनिक / निजी / प्रोपराइटरशिप / अन्य) (कृपया निर्दिष्ट करें)**	**:**
4	**प्रस्तावित एसईजेड का नाम**	**:**
5	**प्रस्तावित एसईजेड का प्रकार (बहु उत्पाद या क्षेत्र विशिष्ट / अन्य) (कृपया निर्दिष्ट करें)**	**:**
6	**प्रस्तावित एसईजेड का लोकेशन**	**:**
7	**प्रस्तावित एसईजेड के लिए अधिग्रहीत या अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का विवरण और उसका मानचित्र**	**:**
8	**प्रस्तावित एसईजेड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / संभाव्यता रिपोर्ट**	**:**
9	**प्रस्तावित एसईजेड में निवेश एवं वित्त पोषण का तरीका**	**:**
10	**सृजित होने वाला रोजगार**	**:**
11	**ऐसे व्यक्तियों का नाम एवं पूरा पता जिनके साथ संविदा की जानी है**	**:**
12	**कोई अन्य सूचना**	**:**

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(*एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र है)

(आर एस मदान)

सचिव, हरियाणा सरकार,

विधायी विभाग